

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
आदेश

सं.- 10/निजी-01-1058/2025

पटना/दिनांक-

श्री इंद्रदेव सिंह (आई०डी०-5524), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-02, मधुबनी का दिनांक-28.09.2025 से दिनांक-29.09.2025 तक कुल-02 (दो) दिनों के आकस्मिक अवकाश अवधि को विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो०)सि०-54/2025-2694, दिनांक-22.05.2025 के आलोक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश स्वीकृति का लाभ प्रदान करने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सुसंगत वर्ष में देय आकस्मिक अवकाश के आदेयता की सम्यक जाँच कर लेंगे। आदेयता शेष रहने पर ही उक्त आदेश लागू होगा। यह नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी एच०आर०एम०एस० में इसकी प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

निबंधित/ईमेल

ज्ञापांक-10/निजी-01-1058/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-01, पडरौना/श्री इंद्रदेव सिंह (आई०डी०-5524), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-02, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1058/2025

1312 पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/03/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।